funs'kdksa dh fjiksVZ

शेयरधारको,

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक मंडल की ओर से सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. fu"iknu dh leh{kk & fof'k"Vrk,¡

1.1 foÙkh; fu"iknu%

वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा :

¼#lk, fefy;u esa½

fooj.k	2016-17	2015-16
कुल राजस्व	**221776.8**	206103.3
कुल व्यय	**257974.6**	243613.3
आपवादिक तथा असाधारण मदें एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**(36197.8)**	(37510.0)
आपवादिक मदें	**(12981.6)**	-
असाधारण मदें एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**(49179.4)**	(37510.0)
असाधारण मदें	**(8472.3)**	(857.8)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(57651.7)**	(38367.8)
घटाकर : कर के लिए प्रावधान	-	-
निवल लाभ/(हानि)	**(57651.7)**	(38367.8)

1.2 okLrfod fu"iknu%

fooj.k	bdkbZ	2016-17	2015-16
ए एस के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**54155**	51208
ए एस के एम (कुल)	मिलियन	**54519**	51517
पी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**41316**	38694
पी के एम (कुल)	मिलियन	**41316**	38695
ए टी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**7272**	6881
ए टी के एम (कुल)	मिलियन	**7313**	6916
आर टी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**4748**	4327
आर टी के एम (कुल)	मिलियन	**4748**	4327
आर टी के एम (कुल)	मिलियन	**4748**	4327
यात्री भार घटक	%	**76.3**	75.6
समग्र भार घटक	%	**65.3**	62.6
वहन किए गए यात्रियों की संख्या (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**19.1**	18.0
वहन किए गए यात्रियों की संख्या (कुल)	मिलियन	**19.4**	18.4
माल वहन	टन	**196918**	192809
कुल राजस्व उड़ान घंटे	संख्या	**405164**	356182

2. vU; foÙkh; lpuk

2.1 'ks;j iwath

ikf/kÑr 'ks;j iwath

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 30,000,00,00,000/– रुपए है जो 10/–रुपए प्रति के 3,000,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

tkjh] vfHknÙk ,oa iznÙk 'ks;j iwath

31 मार्च, 2017 को कंपनी की जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 26,753,00,00,000/- रुपए है जो 10/– रुपए प्रति के 26,753,000,000 पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों में विभाजित है। वर्ष 2016–17 के दौरान, भारत सरकार ने 24652.1 मिलियन रुपए इक्विटी पूंजी के रूप में प्रदान किए हैं।

2.2 fMcspj

भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त प्रत्येक 1 मिलियन रुपए के अंकित मूल्य के 136,000 अरक्षित गैर परिवर्तनीय, अप्रतिदेय, डिबेंचर कंपनी द्वारा जारी किए गए। परिपक्वता प्रोफाइल तथा ब्याज दर का ब्योरा वित्तीय विवरण के नोट 4.1 में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के तहत अपेक्षित डिबेंचर रिडेम्पशन रिर्जव को कंपनी द्वारा लाभ अर्जित न किए जाने के कारण सृजित नहीं किया गया है।

कंपनी के डिबेंचर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी के ट्रांसफर एजेंट का पता मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखोली (पश्चिम), मुंबई 400083 है।

2.3 foeku ifj;kstuk _.k

31 मार्च, 2017 को विमान ऋण की स्थिति, जिसमें वित्त लीज़ तथा विमान वित्तपोषण के लिए जारी किए गए अपरिवर्तनीय ऋण–पत्रों के संबंध में भविष्य की लीज़ देयताएं शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं :–

¼#i, fefy;u esa½

01 अप्रैल, 2016 को कुल ऋण देय	222,035.22
जोड़कर : 2016–17 के दौरान ली गई राशि	29,056.40
घटाकर : 2016–17 के दौरान चुकाई गई राशि	72,158.41
घटाकर : मुद्रा की दरों में परिवर्तन के कारण विनिमय समायोजन	5,334.20
31 मार्च, 2017 को शेष	173,599.01

2.4 okf"kZd ;kstuk ifj0;; 2016&17

¼#i, fefy;u esa½

	vuqekfnr	okLrfod
foeku ifj;kstuk,a		
विमान/स्पेयर इंजन निर्माताओं को भुगतान	1,120.00	3,145.20
xSj&foeku ifj;kstuk,a		
अन्य पूंजीगत व्यय	2,400.00	2,252.10
भारत सरकार द्वारा इक्विटी इन्फ्यूज़न **	17,130.00	24,652.10
dqy ;kstuk ifj0;;	20,650.00	30,049.40

** सरकार से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम अनुपूरक अनुदान के रूप में 7,522.1 मिलियन रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है।

2.5 okf"kd ;kstuk ifj0;; 2017&18

वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 23,080.00 मिलियन रुपए है। कंपनी ने दिसंबर 2017 तक 21,975.30 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त 4 बी 787 विमानों को अर्जित करने के लिए 30,038.3 मिलियन रुपए की राशि खर्च की गई। अनुमोदित टीएपी/एफआरपी के अनुसार एअर इंडिया द्वारा सभी विमान सेल व लीज़ बैक (एसएलबी) विधि के माध्यम से अर्जित किए जाने थे। तथापि, सरकार द्वारा एअर इंडिया का विनिवेश करने का निर्णय लिए जाने के बाद अब यह निर्णय लिया गया कि शेष सभी विमानों को ब्रिज लोन/बैंक फाइनेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त 4 बी–787 विमानों को दिसंबर 2017 तक बहियों में पूंजीबद्ध कर दिया गया है।

2.6 ckjgoh ipo"kh; ;kstuk & 2012&13 l 2016&17 ¼vuekfnr½

¼#Ik, fefy;u e½

विमान परियोजनाएं	11,730.00
गैर–विमान परियोजनाएं	18,650.00
सरकार से बजटीय सहायता	1,50,960.00
dy ;kstuk ifj0;;	**1,81,340.00**

2.7 foRrh; y[kk

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय इनस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

3. fun'kd eMy dh cBd

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का ही भाग है। दो बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के अनुसार था।

4. lgk;d ,o l;Dr m|e dk ifu;k dk ckjs e lpuk

कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं :

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड

एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास भारतीय होटल निगम लि. के 80.38 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं तथा शेष 19.62 प्रतिशत शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं।

इसके अतिरिक्त, एआई सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्रा. लि. दो कंपनियों अर्थात् एअर इंडिया लि. तथा सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज़ (सैट्स) के बीच 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम है। ग्राउंड हैंडलिंग नीति पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में एआई सैट्स द्वारा कुछ मेट्रो एयरपोर्टों पर एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

5. vk|kfxd lc/k

वर्ष 2016–17 के दौरान कर्मियों से संबंध सौहार्दपूर्ण रहे ।

6. y?kq vk|kfxd bdkb;ksa dks ikR lkgu@lgk;rk

कंपनी ने एमएसएमई इकाइयों/समाज कल्याण/धर्मार्थ संगठनों को सहायता जारी रखी। वर्ष के दौरान एमएसएमई इकाइयों से प्रापण तथा सामाजिक/धर्मार्थ संगठनों से 651.90 मिलियन रुपए की सलेक्टिव सोर्सिंग/प्रापण किया गया।

7. i;kZoj.k lj{kk

i;kZoj.k icU/ku i.kkyh

पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए 5–10 जून 2016 तक हरित सप्ताह मनाया गया। वृक्षारोपण अभियान तथा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए गए जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्तरों तथा विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिल्ली में 10 जून, 2016 को 50 किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया जिसके बाद वृक्षारोपण किया गया।

हमारा निगमित ईएमएस विभाग विभिन्न नियामक निकायों जैसे ईयू–ईटीएस, आयटा तथा डीजीसीए के नियामक अनुपालन को पूरा करने के लिए ईंधन दक्षता तथा पर्यावरण उत्सर्जन को मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी पिछले वर्ष की तुलना में अपनी ईंधन खपत 93154 टन तक कम करने में सक्षम रही। ईंधन कुशल विमानों के उपयोग, ईंधन–दक्षता उपायों के कार्यान्वयन तथा बेहतर भार घटक के कारण 2015 की तुलना में 2016 में ईंधन दक्षता में 12.17 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

bZ;w&bZVh,l

मार्च 2017 मे यूरोपियन यूनियन एमीशन ट्रेडिंग स्कीम (ईयू:ईटीएस) के तहत यूरोपीय उड़ानों के कारण हुए उत्सर्जन के लिए ईयू मान्यताप्राप्त सत्यापनकर्ता, मैसर्स वेरीफेबिया ने एअर इंडिया का ऑडिट किया। एअर इंडिया ने 31 मार्च 2017 को समय–सीमा से पहले ही ऑडिट अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जिसके तहत ईएमएस, उड़ान प्रचालन, इंजीनियरी व वित्त विभाग सम्मिलित हैं, अपनी उत्सर्जन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा यूरोप के भीतर प्रचालित उड़ानों से उत्सर्जन के कारण कार्बन क्रेडिट सौंप दिए। एअर इंडिया अब पूरी तरह से ईयू–ईटीएस उत्सर्जन विनियमों का अनुपालन करती है।

8. lrdrk

एअर इंडिया का सतर्कता विभाग महत्त्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों को करता है जिन्हें मोटे तौर पर निवारक एवं पूर्वसक्रियता के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार मुक्त संगठन के निर्माण के लिए सतत रूप से कार्य करता है तथा सुशासन भी इसका लक्ष्य है।

एअर इंडिया लोक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा दायित्व को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार नियमों, प्रक्रियाओं तथा मानक प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा करती है।

सतर्कता विभाग द्वारा सुझाए गए सुनियोजित सुधारों के फलस्वरूप, अधिकांश विभागों ने अपने विभागों के लिए या तो एसओपी विकसित कर ली है अथवा विकसित कर रहे हैं। पहले से मौजूद प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा विसंगतियों तथा प्रक्रियागत चूकों को कम करने के लिए उनका अनुपालन किया जाता है।

सतर्कता विभाग मामलों के शीघ्र निपटान/कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ निरंतर कार्यवाही का अनुसरण करता है। क्षेत्रीय निदेशकों/विभागीय प्रमुखों के साथ सीवीसी को भेजे गए मामलों के संबंध में भी निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष के दौरान पूरे नेटवर्क में सतर्कता टीम द्वारा कुल 53 स्टेशनों का निरीक्षण तथा 495 औचक जांच की गईं। इसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियों के कारण 73.26 मिलियन रुपए की बड़ी वसूली हुई।

9. jktHkk"kk dk;kZUo;u

कार्यालय में हिंदी प्रसार की मानीटरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 57 राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालयी कार्य हिंदी में करने तथा कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यालय, दिल्ली के विभिन्न विभागों, तथा वाराणसी व कोच्चि स्टेशनों में डेस्क–टू–डेस्क कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 127 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, 27 जून 2016 को उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए हिंदी में प्रेरणात्मक वार्ता का भी आयोजन किया गया जिसमें 40 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालयी कार्य हिंदी में करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 81 डेस्क–टू–डेस्क कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 374 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं की श्रेणी के तहत एअर इंडिया की हिंदी गृह पत्रिका ''विमानिका'' को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा महाप्रबंधक (वाणिज्य), पूर्वी क्षेत्र को हिंदी में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा ''विमानिका'' को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

एअर इंडिया वेबसाइट तथा ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली में सूचनाएं नियमित आधार पर हिंदी में भी अपडेट की गईं। उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली से संबंधित सामग्री को भी समय–समय पर हिंदी में अपडेट किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ हिंदी उद्घोषणाओं के लिए चुने गए पायलट एवं केबिन कर्मियों को पुरस्कृत किया गया।

10. vkj{k.k uhfr dk dk;kZUo;u

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं 1991 तथा 1996 से प्रभावी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति कार्यान्वित की गई है।

v-tk-@v-t-tk@vU; fiNM+k oxZ & 31 ekpZ 2017 dks deZpkfj;ksa dh la[;k

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा. के कर्मचारियों का प्रतिशत	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
17677	3667	20.74	1311	7.41	1254	7.09

11. dkikjV xouil

कंपनी की कॉर्पोरेट गर्वनेंस नीति का उद्देश्य अपने प्रचालन के सभी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व के साथ–साथ सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना है। कंपनी सदैव अपने सभी स्टेकहोल्डर अर्थात् ग्राहकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और समाज के प्रति समग्र रूप से प्रतिबद्ध रहते हुए कंपनी की छवि को बनाए रखने तथा इसके मूल्य संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रही है। कंपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है और उसे पूरा करने के लिए इसने विभिन्न पहल शुरू की हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी प्रतियोगी निगमित ऋण नीतियों, विवेकपूर्ण निगमित एवं व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं, योजनाबद्ध मॉनीटरिंग तथा जोखिमों को कम करने के उपायों को अपनाने के साथ ही, संगठन में नियंत्रण एवं संतुलन जोकि व्यक्तियों, संपत्ति, समानता और निष्पक्षता के लिए महत्त्वपूर्ण है, के सृजन के माध्यम द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रही है। कंपनी सुदृढ़ व्यावसायिक पद्धतियों को अपनाती है और पारदर्शी ढंग से अपना व्यवसाय करती है। कंपनी अपने सभी कार्यों में निगमित प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

एकीकरण समझौता कार्यक्रम (इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम) दिनांक 08 फरवरी 2008 से कार्यान्वित किया गया था। 100 मिलियन रुपए और उससे अधिक मूल्य की सभी संविदाओं के संबंध में इंटेग्रिटी पैक्ट को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रबंधन की विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से दी गई है।

12. fctul dh iÑfr e ifjorlu

कंपनी के बिज़नेस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

13. ykHkka'k

2016–17 में हुई हानि को देखते हुए, निदेशकों ने लाभांश देने की कोई सिफारिश नहीं की।

14. nkok ugh fd, x, ykHkka'k dk fuos'kd f'k{kk ,o lj{kk fuf/k e vrj.k

चूंकि पिछले वर्षों का भुगतान न किया गया/दावा न किया गया लाभांश नहीं था, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

15. _.k] xkjVh vFkok fuos'k dk fooj.k

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपनी सहायक कंपनियों को ऋण/गारंटी प्रदान की है तथा उनमें निवेश किया है। 31 मार्च, 2017 को ऐसे निवेशों तथा ऋण/गारंटी का विवरण नोट 9, 10 तथा 25 ख के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

16. tek ¼fMikftV½

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

17. ukekdu ,o ikfjJfed lfefr

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरामीटरों के अनुसार पारिश्रमिक/अनुलाभ/प्रोत्साहन संबंधी नीतियों को तैयार एवं उनकी समीक्षा करती है। सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक के निर्धारण सहित एअर इंडिया के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) की अपेक्षानुसार, 31 मार्च 2016 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन गैर–कार्यपालक निदेशक सम्मिलित हैं::

fun'kd dk uke	lfefr e in	fun'kd dh J.kh
प्रो. रविन्द्र ढोलकिया	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
प्रो. प्रेम व्रत	सदस्य	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अश्वनी लोहानी	सदस्य	कार्यपालक गैर–स्वतंत्र निदेशक

अपनी कार्यावधि पूरी करने पर, प्रो. रविन्द्र ढोलकिया तथा प्रो. प्रेम व्रत कंपनी के बोर्ड से स्वतंत्र निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए। श्री सैयद ज़फर इस्लाम तथा डॉ. आर.के. त्यागी 31 मई 2017 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया:

fun'kd dk uke	lfefr e in	fun'kd dh J.kh
डॉ. आर. के. त्यागी	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
श्री सैयद ज़फर इस्लाम	सदस्य	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	कार्यपालक गैर–स्वतंत्र निदेशक
निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	कार्यात्मक निदेशक

एअर इंडिया सरकारी कंपनी है तथा निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों से संबंधित धारा 178 (2)/(3)/(4) की प्रयोज्यता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

18. y[kk ijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों तथा डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कंपनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया। 31 मार्च, 2017 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

fun'kd dk uke	lfefr e in	fun'kd dh J.kh
सुश्री गार्गी कौल	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अश्वनी लोहानी	सदस्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	सदस्य	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
निदेशक – वित्त	विशेष आमंत्रित	कार्यात्मक निदेशक
महाप्रबंधक – आंतरिक लेखा परीक्षा	विशेष आमंत्रित	महाप्रबंधक

तथापि 31 मई 2017 से श्री सैयद ज़फर इस्लाम तथा डॉ. आर.के.त्यागी को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया:

fun'kd dk uke	lfefr e in	fun'kd dh J.kh
श्री सैयद ज़फर इस्लाम	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
श्री आर.के. त्यागी	सदस्य	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	स्थायी आमंत्रित	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक – वित्त	विशेष आमंत्रित	कार्यात्मक निदेशक
का. निदेशक – आंतरिक लेखा परीक्षा	विशेष आमंत्रित	कार्यात्मक निदेशक

19. ic/ku ppk ,o fo'y"k.k fjikV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की विस्तृत रिपोर्ट अलग से दी गई है।

20. ckM] bl dh lfefr ;k rFkk Lor= fun'kdk dk dk;l fu"iknu eY;kdu

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय, जोकि कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकारी कंपनी होने के कारण एअर इंडिया के निदेशकों का कार्यनिश्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय (नागर विमानन मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

21. fun'kdk d p;u rFkk fu;fDr o mud oru d fy, uhfr

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के तहत एअर इंडिया को सरकारी कंपनी होने के कारण सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

22. Lor=rk lc/kh ?kk"k.kk

31 मार्च, 2017 को कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मई 2017 की अधिसूचना के अनुसार, डॉ. आर.के. त्यागी तथा श्री सैयद ज़फर इस्लाम 3 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड मे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि कंपनी द्वारा यथोचित रूप से नियुक्त किए गए सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा दी हैं तथा वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं।

23. fun'kd ,o ie[k ic/kdh; deh

2016–17 दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

Ø- l-	uke	inuke	fu;fDr dh frfFk	lekfIr dh frfFk	lekfIr dk rjhdk
1	श्री बी.एस. भुल्लर	नामित निदेशक (ना.वि.मं.)	01.01.2015	02.02.2017	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामांकन की अवधि नहीं बढ़ाई गई
2	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	नामित निदेशक (ना.वि.मं.)	02.02.2017		
3	श्री एन.के. जैन	निदेशक (कार्मिक)	05.07.2012	03.02.2017	निदेशक के पद से पदमुक्त
4	श्रीमती रेणुका रामनाथ	स्वतंत्र निदेशक (ना.वि.मं.)	29.05.2013	28.05.2016	निदेशक के पद से पदमुक्त
5	श्री रविन्द्र ढोलकिया	स्वतंत्र निदेशक	29.05.2013	28.05.2016	निदेशक के पद से पदमुक्त
6	श्री प्रेम व्रत	स्वतंत्र निदेशक	29.05.2013	28.05.2016	निदेशक के पद से पदमुक्त
7	श्री गुरचरण दास	स्वतंत्र निदेशक	29.05.2013	28.05.2016	निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
8	श्री के.के.नोहवार	स्वतंत्र निदेशक	29.05.2013	28.05.2016	निदेशक के रूप में सेवा समाप्त

24. ;kSu mRihM+u

कंपनी में ''कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)'' से संबंधित अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति लागू है। यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, कॉन्ट्रेक्ट पर कार्यरत, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का सारांश निम्नानुसार है:

प्राप्त शिकायतों की संख्या	14
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	13

25. funs'kdksa dk nkf;Ro lca/kh oDrO;

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

- वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा जहां कोई भी बदलाव है वहां आवश्यक स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाए गए तथ्यों को छोड़कर चयनित लेखांकन नीतियां संगत रूप से लागू की गईं हैं एवं 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

- कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- वार्षिक लेखे 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए हैं तथा ये सिस्टम उपयुक्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

26. Hkkjr d fu;=d ,o egky[kk ijh{kd dh fVIif.k;k

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन तथा समेकित लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

27. y[kk ijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए मैसर्स वर्मा एंड वर्मा, कोच्चि, मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, दिल्ली एवं मैसर्स सारदा एंड परीक, मुंबई को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों पर प्रबंध वर्ग के स्पष्टीकरण/व्याख्या इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

28. lfpoh; y[kk ijh{kk

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा कराने के उद्देश्य से मैसर्स जीवन प्रकाश सैनी, कंपनी सचिव, नई दिल्ली की नियुक्ति की गई है। लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों/प्रतिकूल टिप्पणियों पर प्रबंध वर्ग के स्पष्टीकरण/व्याख्या सहित 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

29. okf"kd fooj.kh dk lkj

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणी का सार निर्धारित फार्म एमजीटी–9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

30. vkfFkd ifjorlu ,o ifrc)rk,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(i) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार, 31 मार्च, 2017 तथा निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि के बीच निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिन्होंने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया:

भारत सरकार ने कंपनी में मई –सितम्बर, 2017 के दौरान 18000 मिलियन रुपए इक्विटी के रूप में दिए हैं।

31. lcf/kr ikVh yu&nu

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के सभी लेन–देन स्वतंत्र आधार पर तथा सामान्य बिज़नेस के रूप में किए गए हैं। कंपनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा अन्य पदनामित व्यक्तियों के साथ आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण ऐसा कोई भी संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया जिसके सामान्य तौर पर कंपनी हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो। आम बैठक में कंपनी के अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित धारा 188 की उप धारा(1) के प्रथम तथा द्वितीय प्रावधान में छूट को कंपनी द्वारा अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट अथवा व्यवस्थाओं के संबंध में सरकारी कंपनी को सौंप

दिया गया है। कंपनी ने वर्श 2016–17 के दौरान लगभग 70000 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि के लिए अपनी सहायक कंपनियों तथा अपने संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्ट/व्यवस्थाएं करने के लिए 29 दिसम्बर, 2017 को हुई अपनी 83वीं बोर्ड मीटिंग में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

32. tksf[ke izca/ku

जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रबंध वर्ग को पहले से ही जोखिमों पर जानकारी दी जाती है ताकि कंपनी सुनियोजित योजना के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर सके। जोखिम को वित्तीय जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना बनाते समय जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी को भी व्यवसाय संबंधी जोखिम तथा उनसे निपटने के लिए की गई कार्रवाई से समय–समय पर सूचित किया जाता है।

33. U;k;ky; dk vkns'k

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा गोइंग कंसर्न स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक आदेश पारित नहीं किए गए।

34. lgk;d daifu;ksa dh okf"kZd fjiksVZ rFkk lesfdr foÙkh; fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों तथा एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन पर एएस–23 तथा संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एएस–27 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर एएस–21 के अनुसार, कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का ही भाग है।

35. deZpkfj;ksa dk fooj.k rFkk lacaf/kr izdVu

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134 (3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं। परिणामस्वरूप, धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति तथा अन्य मामलों पर कंपनी की नीति संबंधी विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार, धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित धारा 197 (12) के संदर्भ में, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक व मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन तथा ऐसे अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, जैसे – कंपनी में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा अन्य विवरण दर्शाता ब्योरा, कर्मचारी पूरे वित्तीय वर्ष/वित्तीय वर्ष में कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त थे, क्या नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था, आदि। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को किसी भी सहायक कंपनी से किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक अथवा कमीशन प्राप्त नहीं होता है। सरकारी कंपनी होने के कारण एअर इंडिया के निदेशक सरकारी/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं जिसमें योग्यता/अन्य मामलों को निर्धारित करने हेतु वेतन के मानदंड निर्धारित करना भी सम्मिलित होता है।

36. lko/kkuh lca/kh oDrO;

कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं, आकलनों, अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए प्रबंधन के विचार–विमर्श एवं विश्लेषण संबंधी वक्तव्य, लागू नियमों एवं विनियमों के तहत दूरदर्शी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा सूचित किए गए परिणामों से व्यापक रूप में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कारकों में मांग/पूर्ति को प्रभावित कर रही आर्थिक स्थितियां, घरेलू एवं विदेशी बाज़ार, जहां कंपनी प्रचालन करती है, में वैश्विक आर्थिक एवं मूल्य निर्धारण स्थितियां, सरकार की नीतियों, विनियमों, कर–कानूनों तथा अन्य अधिनियमों में परिवर्तन के साथ–साथ अन्य आकस्मिक कारक सम्मिलित हैं। एयरलाइन की लाभप्रदत्ता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारक ईंधन है जो

इसकी कुल लागत का लगभग 24% है तथा इसके मूल्य में होने वाला कोई भी बड़ा परिवर्तन एयरलाइन की लाभप्रदत्ता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक एवं आर्थिक कारक जैसे मंदी, ग्लोबल बाज़ार में मुद्रा संकट, भू–राजनैतिक स्थितियां तथा स्थिरता, यूएस डालर (जिसमें कंपनी के अधिकतर ऋण/व्यय होते हैं) की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव भी कंपनी के निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं ।

37. /kU;okn iLrko

बोर्ड, भारत एवं विदेश में कंपनी की सेवाओं का उपयोग कर रहे सम्माननीय ग्राहकों की हार्दिक सराहना करता है एवं आशा करता है कि उनका सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होता रहेगा। बोर्ड कंपनी के सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सच्ची एवं निष्ठावान सेवाओं की भी विशेष सराहना करता है।

बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नागर विमानन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से कंपनी के प्रचालनों, वित्तीय पुनर्संरचना योजना एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड डी.जी.सी.ए., भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइनों, एजेंटों, तेल कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं एक्ज़िम बैंक, यूएसए तथा केएफडब्ल्यू बैंक सहित बैंकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

हस्ता/–
(iznhi flag [kjksyk)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मार्च 2018